राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (विश्वविद्यालय परिसर) और सम्बद्ध महाविद्यालयों मे चार वर्षीय स्नातक (मानद अथवा मानद शोध सहित) तथा स्नातकोत्तर कक्षाओ मे प्रवेश हेतु दिशा निर्देश:

1. सत्र 2024–25 में बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2025–26 में चार वर्षीय स्नातक (मानद अथवा मानद शोध सहित) कार्यक्रम में प्रवेश लिए जा सकेंगे।
2. मानद एवं मानद शोध सहित कार्यक्रम में प्रवेश केवल उन महाविद्यालयों में होंगे, जहां पर सम्बंधित विषय मे परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे है।
3. प्रवेश विश्वविद्यालय के प्रवेश अध्यादेश 2025–26 के नियमों के अनुसार होंगे।
4. प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर, सामान्य श्रेणी व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 45%. प्राप्तांक तथा आरक्षित वर्ग (SC/ST/DA) के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40 % प्राप्तांक आवश्यक है। विज्ञान संकाय व कृषि संकाय में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विषय में 50% अंक अनिवार्थ हैं तथा आरक्षित वर्ग हेतु 5% छूट अनुमन्य है।
5. इसके लिये अभ्यर्थी तृतीय वर्ष में अध्ययन किये गये, किसी एक मुख्य विषय का चयन करेंगे। वे अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये है चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (मानद शोध सहित)कार्यक्रम का चयन कर सकते है तथा 75% से काम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी चार वर्षीय स्नातक (मानद उपाधि) कार्यक्रम हेतु अर्ह होंगे.
6. वे अभ्यर्थी जिनका स्नातक 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के अंतर्गत नहीं हुआ है वे 5 वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि हेतु ही अर्ह है। एसे छात्र 4 वर्ष के पश्चात किसी भी उपाधि हेतु अर्ह नहीं होंगे। अर्थात उनको स्नातकोत्तर 02 वर्ष की उपाधि पूर्ण करनी होगी।
7. ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक स्तर के मुख्य विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे अभ्यर्थी भाषा व विज्ञान संकाय के विषयों के अतिरिक्त कला संकाय के गैर-प्रयोगात्मक विषय जैसे समाजशास्त्र , शिक्षाशास्त्र , अर्थशास्त्र, इतिहास आदि विषयों में प्रवेश हेतु नामांकन कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में छात्र चार वर्षीय कार्यक्रम हेतु अर्ह नहीं होंगे अपितु पाँच वर्ष के अध्ययन के पश्चात ही स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अर्ह होंगे।
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से अच्छादित चार वर्षीय पाठ्यक्रम के बाद यदि अभ्यर्थी निकास नहीं करता है तो वह पाँच वर्ष मे स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अर्ह होगा।
9. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय में यदि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित है, तो चार वर्षीय स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत ही संचालित होगा। इसके अतिरिक्त कोई महाविद्यालय इन कार्यक्रमों को संचालित करना चाहता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
10. उपरोक्तानुसार पात्र अभ्यर्थी नियमानुसार चारवर्षीय स्नातक (मानद अथवा मानद शोध सहित) तथा पांच वर्षीय परास्नातक कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के ***SAMARTH POTAL*** पर पंजीकरण कर महाविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण अवश्य कर लें

विद्यार्थी अधिक जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली तथा चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम निर्देशिका का अवलोकन अनिवार्य रूप से करें।

पंजीयन एवं प्रवेश प्रकोष्ठ

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

[वेबसाइट: https://rmpssu.ac.in]